

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :-

119/2019

1. सत्यनारायण आयु 50 साल आ० चतुर्भुज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
2. मुकुटबिहारी आयु 35 साल आ० चतुर्भुज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
3. लोकेश आयु 30 साल आ० चतुर्भुज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०

-वादीगण

बनाम

1. चतुर्भुज आ० शौलाल जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
2. छीतरलाल आ० शौलाल जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
3. सुरेश बाई पत्नि रामावतार जाति मीना निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०


- प्रतिवादीगण

वाद :- अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज० टि० एक्ट

उपस्थित :-

1. वादी की और से श्री जनकराज मीणा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री नन्दराज मीणा, एडवोकेट।


  
उपखण्ड अधिकारी  
के. पाटन (बून्दी)

—: निर्णय :-

दिनांक -18.11.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 23.07.2019 को वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

1. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 209 रकबा 2.00 है, ख.सं. 215 रकबा 0.34 है, ख.सं. 224 रकबा 0.19 है, खसरा संख्या 392 रकबा 0.23 है, खसरा संख्या 398 रकबा 0.54 है, खसरा संख्या 438 रकबा 0.84 है, खसरा संख्या 1122 रकबा 2.29 है कुल किता 7 कुल रकबा 6.43 है वाके ग्राम व माल चितावा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। कृषि खसरा संख्या 620 रकबा 0.01 है, खसरा सं. 621 रकबा 0.43 है, खसरा संख्या 660 रकबा 0.14 है, खसरा संख्या 742 रकबा 0.17 है, खसरा संख्या 751 रकबा 0.05 है, खसरा संख्या 792 रकबा 0.08 है, खसरा संख्या 796 रकबा 0.14 है, खसरा संख्या 1106 रकबा 0.22 है कुल किता 8 कुल रकबा 1.24 है वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि में से खसरा संख्या 438 रकबा 0.84 है भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को बैचान किया जा चुका है तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 398 रकबा 0.54 है में से 0.40 है भूमि का बैचान मुकुटबिहारी को किया जा चुका है। शेष भूमि पर वादीगण का जन्म से ही प्रत्येक का  $1/4-1/4$  हिस्सा निहीत है तथा चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि पर वादीगण का प्रत्येक का  $1/8-1/8$  हिस्सा निहीत है। चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से चली आ रही है। जिस पर वादीगण को जन्म से ही अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है और वादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर के काश्त करते चले आ रहे है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, बैचान व अन्य प्रकार से खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। जब वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को रहन, बय करने से मना कर दिया और वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में से अपना हिस्सा देने के लिये कहां तथा वादीगण ने अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के लिये कहां तो प्रतिवादी सं. 1 ने धमकी दी की मेरे जीते जी तो बंटवारा भी नही करवाउंगा न ही तुम्हारे खाते दर्ज करवाउंगा। ज्यादा करोगे तो तुम्हारे को


  
उपखण्ड अधिकारी  
के. पाटन (बून्दी)

जो भूमि बंटवारे में तुम्हे दे रखी है उसे भी वापस लेकर किसी दुसरे को बैचान कर दूंगा।

2. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से दि. 13.11.2019 को राजीनामा पेश किया गया।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.11.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:निर्णय:—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खसरा सं. 1122 रकबा 2.29 है० में से 1.15 है० पूर्व दिशा की वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, वादी सं. 1 सत्यनारायण आ० चतुर्भज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 1122 रकबा 2.29 है० में से 1.14 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 392 रकबा 0.23 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 398 रकबा 0.54 है० में से शेष रकबा 0.14 है० वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, वादी सं. 2 मुकुटबिहारी आ० चतुर्भज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 209 रकबा 2.00 है० में से 1.01 है०, ख.सं. 224 रकबा 0.19 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 215 रकबा 0.34 है० सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० वादी सं. 3 लोकेश आ० चतुर्भज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 209 रकबा 2.00 है० में से 0.99 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 660 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 742 रकबा 0.17 है० में से 0.08 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 751 रकबा 0.05 है० में से 0.03 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 792 रकबा 0.08 है० में से 0.04 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 796 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पूर्व दिशा वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी सं. 1 चतुर्भज आ० शौलाल जाति मीना निवासी चितावा तहसील

  
उपखण्ड अधिकारी  
के. पाटन (बून्दी)

केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 620 रकबा 0.01 है० सम्पूर्ण, ख. सं. 621 रकबा 0.43 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 660 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 742 रकबा 0.17 है० में से 0.09 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 751 रकबा 0.05 है० में से 0.02 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 792 रकबा 0.08 है० में से 0.04 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 796 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 1106 रकबा 0.22 है० सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी सं. 2 छीतरलाल आ० शौलाल जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। कृषि भूमि ख.सं. 398 रकबा 0.54 है० वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन में विरिथत भूमि में से रकबा 0.40 है० भूमि का बैचान पूर्व में मुकुटबिहारी वादी सं. 2 को किया जा चुका है तथा जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है वह उसी के खाते में रहेगी। कृषि भूमि ख.सं. 438 रकबा 0.84 है० वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन में स्थित भूमि का बैचान पूर्व में किया जा चुका है जो प्रतिवादी सं. 3 सुरेश बाई के खाते में दर्ज हो चुकी है वह उसी के खाते में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



18/11/19  
(दुर्गाशंकर मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Proceedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत


उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

इजलास - दुर्गाशंकर मीना  
आर.ए.एस.

सत्यनारायण V/S चतुर्भुज वगै०  
वाद- अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर :: 119/2019

वादी की ओर से श्री जनकराज मीणा, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री नन्दराज मीणा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-


“वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खसरा सं. 1122 रकबा 2.29 है० में से 1.15 है० पूर्व दिशा की वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, वादी सं. 1 सत्यनारायण आ० चतुर्भुज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 1122 रकबा 2.29 है० में से 1.14 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 392 रकबा 0.23 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 398 रकबा 0.54 है० में से शेष रकबा 0.14 है० वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, वादी सं. 2 मुकुटबिहारी आ० चतुर्भुज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 209 रकबा 2.00 है० में से 1.01 है०, ख.सं. 224 रकबा 0.19 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 215 रकबा 0.34 है० सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० वादी सं. 3 लोकेश आ० चतुर्भुज जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 209 रकबा 2.00 है० में से 0.99 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 660 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 742 रकबा 0.17 है० में से 0.08 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 751 रकबा 0.05 है० में से 0.03 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 792 रकबा 0.08 है० में से 0.04 है० पूर्व दिशा, ख.सं. 796 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पूर्व दिशा वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी सं. 1 चतुर्भुज आ० शौलाल जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। खसरा सं. 620 रकबा 0.01 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 621 रकबा 0.43 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 660 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 742 रकबा 0.17 है० में से 0.09 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 751 रकबा 0.05 है० में से 0.02 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 792 रकबा 0.08 है० में से 0.04 है० पश्चिम दिशा, ख.सं. 796 रकबा 0.14 है० में से 0.07 है० पश्चिम

  
उपखण्ड अधिकारी  
के. पाटन (बून्दी)

दिशा, ख.सं. 1106 रकबा 0.22 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी सं. 2 छीतरलाल आ0 शौलाल जाति मीना निवासी चितावा तहसील केशवराय पाटन के हिस्से में रहेगी। कृषि भूमि ख.सं. 398 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के0 पाटन में विस्थित भूमि में से रकबा 0.40 है0 भूमि का बैचान पूर्व में मुकुटबिहारी वादी सं. 2 को किया जा चुका है तथा जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है वह उसी के खाते में रहेगी। कृषि भूमि ख.सं. 438 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम व माल चितावा तहसील के0 पाटन में स्थित भूमि का बैचान पूर्व में किया जा चुका है जो प्रतिवादी सं. 3 सुरेश बाई के खाते में दर्ज हो चुकी है वह उसी के खाते में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व तरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूलवादी तक .....ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.11.2019 को जारी की गई।



(दुर्गाशंकर मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
केशवरायपाटन

